

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड (म0प्र0)

क्रमांक-47.../कार्यविभाजन/सां.अनु./2024 भिण्ड, दिनांक-16.../04.../2024

कार्य-विभाजन पत्रक 2024

मैं राजीव कुमार अयाची प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड, इस स्थापना पर न्यायाधीशों के पदस्थापनाओं को दृष्टिगत रखते हुये मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय नियम 1958 की धारा 7(2) व 15 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रधान जिला एवं सत्र खण्ड भिण्ड के लिये पूर्व में प्रसारित सभी आदेशों को अतिरिक्त करते हुये इस जिला स्थापना में कार्यरत समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड के मध्य सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों का कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2024 तैयार कर निम्नानुसार कार्य विभाजन पत्रक 2024 जारी किया जाता है :-

भाग-1

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के लिए

क्रमांक	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड	संपूर्ण सत्र खण्ड भिण्ड एवं सिविल जिला भिण्ड की तहसील भिण्ड, अटोर, जिला भिण्ड का क्षेत्राधिकार	<p>आपराधिक प्रकरण :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सत्र प्रकरण :- सत्र खण्ड, भिण्ड (रीन एवं मिहोना क्षेत्र से उद्भूत सहित) 2. दण्डिक अपीलें :- समस्त (रीन एवं मिहोना क्षेत्र से उद्भूत सहित) 3. दण्डिक पुनरीक्षण याचिका :- समस्त (रीन एवं मिहोना क्षेत्र से उद्भूत सहित) 4. जमानत (प्रतिभूति) आवेदन पत्र :- द.प्र.सं. की धारा 438 एवं 439 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। (अन्यत्र उल्लेखित के अतिरिक्त) (रीन एवं मिहोना क्षेत्र से उद्भूत सहित) 5. प्रकरणों के अंतरण/प्रत्याहरण :- धारा 408 एवं 409 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 6. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 341 के अंतर्गत प्रकरण। 7. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 8 (ग) के प्रकरण एवं अन्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वे समस्त आपराधिक प्रकरण जो केवल सत्र न्यायाधीश द्वारा ही विचारण योग्य हैं। 8. किसी अधिनियम, नियम, अधिसूचना द्वारा या राज्य शासन या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी विशेष न्यायालय के रूप में सत्र न्यायाधीश को अधिकृत किया गया हो तो तत्संबंधी समस्त विशेष प्रकरण। 9. विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना दिनांक 01.05.2010 एवं रजिस्ट्री के पृष्ठांकन क्रमांक ए/1418 दिनांक 02.08.2010 के अनुसार औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत धारा 13 के खण्ड (क) तथा (ख) धारा 22 की उपधारा (3), धारा 27 के खण्ड (क) तथा (ग), धारा 28, धारा 28क, धारा 28ख तथा धारा 30 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध के प्रस्तुत प्रकरण। 10. अन्य विचारणीय ऐसे प्रकरण, जिनका उल्लेख कार्य विभाजन पत्रक में पृथक से नहीं है। 11. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय भिण्ड व लहार में निराकृत प्रकरणों से संबंधित अपीलें। <p>व्यवहार प्रकरण :-</p> <p>01. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड व समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय की विविध सिविल अपील।</p>

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक डी/953 दिनांक 21.02.2023 के पालन में।

POLICE STATIONS ATTACHED TO THE CLAM TRIBUNAL

	CITY KOTWALI
	DEHAT KOTWALI
	BAROH
BHIND	WAHLA TIARA
	PAWNI
	LMR
	NAVAGACH
	AJK.
	ATEB
ATER	PHOOP
	SUMPURA

2

विशेष न्यायाधीश अधिसूचित अंतर्गत धारा 14 अ.जा. एवं. ज. जा.
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, मिण्ड

संपूर्ण जिला मिण्ड

आपराधिक

2. मोटरयान अधिनियम 1988 :-

तहसील मिण्ड व अटेर के अंतर्गत (आवेदक निवास करता हो अथवा घटना घटित हुई हो) घटित मोटर दुर्घटना में हुई मृत्यु के लिये प्रस्तुत क्लेम प्रकरण व उद्भूत समस्त विविध कार्यवाहियां।

3. (अ) मू-अर्जन अधिनियम, 1894

(ब) मुमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013

के अंतर्गत तहसील मिण्ड से संबंधित समस्त आवेदन।

4. व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आवेदन-पत्र।

5. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, मिण्ड के आदेश के विरुद्ध अपीलें।

6. म.प्र.लोक परिसर (वेदखली) अधिनियम, 1974 के अधीन पारित आदेश की अपीलें।

7. म.प्र.नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत मिण्ड तहसील की समस्त चुनाव याचिकायें।

8. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन-पत्र जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।

9. विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 20-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुये राज्य शासन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से जिला मिण्ड के लिये अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावों का विचारण करने के लिये विशेष न्यायालय घोषित किया गया है।

"Notification of the Government of M.P. F.No 4779/22/21-B(1)/2022 Bhopal Dated 15-12-2022 issued u/s 20B of Specific Relief Act, 1963 (No. 47 of 1963) in respect of designating the Courts of District Judge(s) to exercise Jurisdiction and try suits in respect of contracts relating to infrastructure project"

10. अन्य समस्त विशेष एवं स्थानीय अधिनियम, के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सिविल प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये हों।

11. कंपनी अधिनियम के तहत विचारणीय प्रकरण

12. प्रोवेट एवं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित प्रकरण।

13. आदेश 21 नियम 08 सी.पी.सी. के तहत बाहर न्यायालय से आने वाले सगरत निष्पादन प्रकरण।

14. अन्य विधियों के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण, अपील व आवेदन पत्र जिनमें प्रधान जिला न्यायाधीश को मूल रूप से सुनवाई का विशेषाधिकार प्राप्त है।

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण तथा ऐसे प्रकरणों से संबंधित सभी जमानत आवेदन पत्र। (विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम द्वारा विचारणीय मामलो को छोड़कर)

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा मध्यप्रदेश डकैती व व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981(अधिनियम क्रमांक-36 सन्-1981) के अंतर्गत पंजीबद्ध दण्डनीय अपराधों के बारे में विशेष न्यायालय न0प्र0शासन विधि और विधायी कार्य विभाग गोपाल की अधिसूचना फ:क-1-7/81/21-ब (एक) गोपाल, दिनांक-03 जनवरी 2019 द्वारा अधिसूचित मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।

3. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण आवेदन-पत्र, जमानत आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रकरण।

4. विविध न्यायिक प्रकरण (किनिगल) जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।

			<p style="text-align: center;">सिविल</p> <p>5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मिण्ड द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल, विविध सिविल प्रकरण।</p>
3	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मिण्ड	<p>सत्र खण्ड, मिण्ड एवं सिविल जिला मिण्ड</p> <p style="text-align: center;">आपराधिक</p> <p>1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण। (मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा गडल द्वारा संबालित दिगिन्न परीक्षाओं से संबंधित अपराधों को छोड़कर)</p> <p>2. MOPRO विनिर्दिष्ट ब्रष्ट आचरण अधिनियम, 1982 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण व उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>3. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण आवेदन-पत्र, जमानत आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रकरण।</p> <p>4. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक-डी/3379/तीन-8-4/81 जबलपुर दिनांक 09.08.2023 द्वारा "मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 (अधिनियम क्रमांक-36 सन् 1981) के अंतर्गत मिण्ड जिले की तहसील मिण्ड, रौन, मिहोना क्षेत्र के समस्त विशेष प्रकरण, एवं जमानत आवेदन पत्र तथा सम्बन्धित विविध कार्यवाहियां।</p> <p>5. मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2000 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले तहसील मिण्ड एवं अटेर से संबंधित समस्त प्रकरण एवं आवेदन पत्र।</p> <p>(मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग मोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-3-2004/4823/2019/21-ब (एक), मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक-16 सन् 2001) की धारा 07 की उपधारा (1) तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक बी/5194/111-8-3/ 2003 जबलपुर, दिनांक 17.10.2019)</p> <p style="text-align: center;">मूल सिविल एवं विविध अपीले :-</p> <p>6. तहसील मिण्ड, अटेर, से संबंधित मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले वाद, आवेदन पत्र एवं आदेश/अधिनिर्णय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण।</p> <p>7. म.प्र.नगरपालिका अधिनियम, 1981 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत तहसील अटेर की समस्त चुनाव याचिकायें।</p> <p>8. तहसील मिण्ड व अटेर के अन्तर्गत घटित दुर्घटना में शरीर एवं सम्पत्ति को हुई क्षति से संबंधित क्लेम प्रकरण एवं उद्भूत समस्त कार्यवाही।</p> <p>9. (अ) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मिण्ड (ब) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड (स) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश के द्वारा पारित डिक्री एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत समस्त नियमित सिविल अपीले।</p> <p>10. (अ) भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (ब) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत तहसील अटेर से संबंधित समस्त आवेदन।</p> <p>11. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल वाद व अपीलें।</p> <p>12. विविध न्यायिक प्रकरण (सिविल व केमिनल) एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।</p> <p>13. समस्त रिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण, माननीय सर्वोच्च न्यायालय व अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त कार्यवाहियां व विविध कार्यवाहियां।</p>	
4	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मिण्ड	<p>सत्र खण्ड, मिण्ड एवं सिविल जिला मिण्ड की तहसील मिण्ड, अटेर, मेहगांव, गोरमी जिला</p> <p style="text-align: center;">आपराधिक</p> <p>1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण आवेदन-पत्र, जमानत आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रकरण।</p> <p>2. विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मोपाल की अधिसूचना दिनांक 11.03.2016 एवं रजिस्ट्री के पृष्ठांकन क्रमांक बी/1292 दिनांक 29.03.2016 के अनुसार</p>	

POLICE STATIONS ARE ATTACHED TO THE CLAIM TRIBUNAL

DEPT. KOTWA

DEHAT KOTWAII

SARCHI

MA-8141-884

PAWA

LMS

NIWAGACH

AJK

AFH

PHOSP

SURPURA

BHIND

ATER

मिण्ड का क्षेत्राधिकार

मिण्ड, अटेर, मेहगांव एवं गोरमी तहसील क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन-पत्र एवं विविध कार्यवाहियां।

मूल सिविल एवं विविध अपीले :-

3 (अ) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं

(ब) पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड द्वारा पारित डिक्ली एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत समस्त नियमित सिविल अपीले।

(स) चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध समस्त नियमित अपील।

4 तहसील मिण्ड/अटेर से संबंधित एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के समस्त व्यवहार वाद

5. MOPRO सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 501 रुपये से 1000 रुपये तक के लघुवाद प्रकरण।

6. MOPRO पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1961 की धारा 27 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकायें।

7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद व अपीलें।

8. विविध न्यायिक प्रकरण (सिविल व क्रिमिनल) एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हैं।

9. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 70 के अंतर्गत अपील।

10. शोध क्षमता (इनसोलवेन्सी) अधिनियम के अंतर्गत 10 लाख मूल्य से अधिक के प्रकरण।

11. प्रथम जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं सप्तम जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा पारित आदेश व निर्णय से उद्भूत विविध सिविल प्रकरण, प्रवर्तन आवेदन व अन्य विविध कार्यवाहियां।

5 तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मिण्ड (रिक्त न्यायालय)

सत्र खण्ड, मिण्ड एवं सिविल जिला मिण्ड की

रिक्त न्यायालय

6 चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड

सत्र खण्ड मिण्ड एवं सिविल जिला मिण्ड की तहसील मिण्ड, अटेर, रौन एवं मिहोना जिला मिण्ड का क्षेत्राधिकार

आपराधिक

1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीले, पुनरीक्षण आवेदन-पत्र, जमानत आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रकरण।

2. एन0डी0पी0एस0 एक्ट, 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जो कि विशेष न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित हैं, उनसे संबंधित रिमाण्ड व जमानत आवेदन तथा उनसे व्युत्पन्न विविध आपराधिक प्रकरण।

3. तहसील रौन एवं मिहोना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त थानों से उद्भूत मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं आवेदन पत्र।

(मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-3-2004/4823/2019/21-ब (एक), मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक-16 सन् 2001) की धारा 07 की उपधारा (1) तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक बी/5194/111-6-3/ 2003 जबलपुर, दिनांक 17.10.2019)

4. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक ए/2930/तीन-6-4/81 जबलपुर दिनांक 10.04.2024 द्वारा "मध्यप्रदेश डकैती और ब्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 के अंतर्गत मिण्ड जिले की अटेर, गोरमी एवं मेहगांव क्षेत्र के समस्त विशेष प्रकरण, जमानत आवेदन एवं संबंधित विविध कार्यवाही।

5. विधि एवं विधायी कार्यविभाग भोपाल की अधिसूचना दिनांक 03.05.2016 के अनुसार राष्ट्रीय अनुवेषण अधिनियम 2008 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी या समस्त अधिनियमित्तार्जों के अधीन अधिकरण द्वारा अन्वेषित अपराधों का विचारण (अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रभावशील)

POLICE STATION'S ARE ATTACHED TO THE CLAIM TRIBUNAL

Lahar

Roun
Mihona

			<p style="text-align: center;"><u>सिविल</u></p> <p>6. तहसील रौन एवं मिहोना से सम्बंधित रुपये एक करोड से अधिक वाद मूल्यांकन के समस्त व्यवहार वाद।</p> <p>7. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड लहार के न्यायालय से तहसील रौन एवं मिहोना क्षेत्राधिकार से संबंधित नियमित एवं व्यवहार वाद अपील।</p> <p>8. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय की नियमित सिविल अपील।</p> <p>9. समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय की नियमित/विविध सिविल अपील।</p> <p>10. मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत तहसील रौन एवं मिहोना क्षेत्रान्तर्गत दुर्घटना में हुई मृत्यु एवं दुर्घटना में आई शारीरिक क्षति के संबंध में प्रस्तुत क्लेम प्रकरण, निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियाँ।</p> <p>11. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के पार्ट-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन को छोड़कर शेष सभी प्रकरण।</p> <p>12. गार्जियन एवं वार्ड्स एक्ट, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>13. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल वाद व अपीलें।</p> <p>14. विविध न्यायिक प्रकरण (सिविल व किमिनल) एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।</p>
7	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड	सत्र खण्ड, मिण्ड एवं सिविल जिला मिण्ड की तहसील मिण्ड, अटेर जिला मिण्ड का क्षेत्राधिका	रिक्त न्यायालय
8	षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड (रिक्त न्यायालय)	सत्र खण्ड मिण्ड	रिक्त न्यायालय
9	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड	सत्र खण्ड, मिण्ड	<p style="text-align: center;"><u>आपराधिक</u></p> <p>1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत, जिले की तहसील मिण्ड/अटेर/रौन/मिहोना क्षेत्र के अपराधों में प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिचायक पत्र से संबंधित प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न एमओजेओसीओ व जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे मामले जिनमें पॉक्सों एक्ट, 2012 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है, तथा ऐसे प्रकरणों से संबंधित सभी जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>3. विविध न्यायिक प्रकरण एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय (अनन्य विशेष न्यायालय पॉक्सों) द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।</p> <p>4. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण आवेदन-पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण।</p> <p>5. तहसील मिण्ड/अटेर/रौन/मिहोना क्षेत्र से संबंधित बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या सहित बलात्कार व अन्य संबंधित महिलाओं के विरुद्ध अपराध से उद्भूत सत्र प्रकरण।</p> <p>6. विविध न्यायिक प्रकरण (किमिनल) जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>सिविल</u></p> <p>7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल वाद व अपीलें।</p>

व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड व कनिष्ठ खण्ड मुख्यालय मिण्ड

10	<p>प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मिण्ड</p>	<p>राजस्व तहसील मिण्ड एवं अटेर</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये सिविल एवं आपराधिक तथा विविध प्रकरण । 2. तहसील मिण्ड एवं अटेर क्षेत्र से उत्पन्न पाँच लाख एक से एक करोड़ रुपये तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद । <p>दायरा अवधि केवल (माह 15 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 की अवधि तक)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 139 एवं 172 के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपीलें । 4. MOPRO सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 500 रुपये तक के मूल्यांकन के तहसील मिण्ड व अटेर लघुवाद प्रकरण । 5. तहसील मिण्ड व अटेर क्षेत्र के दिवालिया अधिनियम के दस लाख रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण । 6. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय व समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो तथा उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेशों पर प्राप्त कार्यवाहियाँ व विविध कार्यवाहियाँ । 7. तहसील मिण्ड व अटेर क्षेत्र के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र । 8. उक्त न्यायालय से निराकृत सिविल वाद एवं विविध सिविल वाद से उत्पन्न प्रवर्तन आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियाँ ।
11	<p>द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय जनपद मिण्ड</p>	<p>राजस्व तहसील व जनपद मिण्ड एवं अटेर</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये सिविल एवं आपराधिक तथा विविध प्रकरण । 2. तहसील मिण्ड एवं अटेर क्षेत्र से उत्पन्न पाँच लाख एक से एक करोड़ रुपये तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद । <p>दायरा अवधि केवल (माह 01 जुलाई 2024 से 30 सितम्बर 2024 की अवधि तक)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो 4. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 मिण्ड क्षेत्राधिकार से संबंधित समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरण । 5. ग्राम न्यायालय से निराकृत सिविल वाद एवं विविध सिविल वाद से उत्पन्न प्रवर्तन आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियाँ ।
12	<p>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड</p>	<p>राजस्व तहसील मिण्ड एवं अटेर जिला मिण्ड</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील मिण्ड एवं अटेर क्षेत्र से उत्पन्न पाँच लाख एक से एक करोड़ रुपये तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद । <p>दायरा अवधि केवल (माह 01 अक्टूबर 2024 से 31 दिसम्बर 2024 की अवधि तक)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद, विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र । 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों ।
13	<p>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड मिण्ड</p>	<p>राजस्व तहसील अटेर जिला मिण्ड</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के मेमो क्रमांक-डी/2387/तीन-6-4/72 जबलपुर दिनांक-01.04.2019 में संशोधन करते हुये प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, मिण्ड सप्टाइल प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, मिण्ड सप्ताह में प्रतिदिन किशोर न्याय बोर्ड को संचालित करेगा । (अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील)
14	<p>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड</p>	<p>तहसील मिण्ड व अटेर</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील मिण्ड एवं अटेर क्षेत्र से उत्पन्न एक रुपये से लेकर पाँच लाख रुपये तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद । <p>दायरा अवधि केवल (माह 15 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 की अवधि तक)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद, विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र । 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय व समस्त

			रिक्त न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों एवं उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेशों पर कार्यवाहियां और विविध कार्यवाहियां ।
15	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड	तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
16	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड	तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
17	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड	तहसील मिण्ड व अटेर	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील मिण्ड एवं अटेर क्षेत्र से उत्पन्न एक रूपये से लेकर पाँच लाख रूपये तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद। दायरा अवधि केवल (माह 01 नवम्बर 2024 से 31 दिसम्बर 2024 की अवधि तक) 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद, विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र। 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों ।
18	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड	तहसील मिण्ड व अटेर	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील मिण्ड एवं अटेर क्षेत्र से उत्पन्न एक रूपये से लेकर पाँच लाख रूपये तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद। दायरा अवधि केवल (माह 01 जुलाई 2024 से 31 अगस्त 2024 की अवधि तक) 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद, विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र। 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों ।
19	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड	तहसील मिण्ड व अटेर	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील मिण्ड एवं अटेर क्षेत्र से उत्पन्न एक रूपये से लेकर पाँच लाख रूपये तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद। दायरा अवधि केवल (माह 01 सितम्बर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 की अवधि तक) 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद, विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र। 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों ।
20	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) मिण्ड	तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
21	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) मिण्ड	तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
22	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) मिण्ड	तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
23	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के षष्ठम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) मिण्ड	तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
24	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के सप्तम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) मिण्ड	तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
25	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के अष्टम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) मिण्ड	तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय

26	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के नवम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) मिण्ड	तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
----	---	------------------	----------------

अनुसूची

सारणी की कंडिका 2 में दर्शाये गये न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से उनके कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं रहने की रिश्ति अथवा उनका पद रिक्त होने की रिश्ति में उनके न्यायालय के अतिआवश्यक सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों का निपटारा सारणी की कंडिका 3 में दर्शाये गये न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा :-

सारणी				
क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	2	3	4	5
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिण्ड	विशेष न्यायाधीश मिण्ड	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड
2	विशेष न्यायाधीश (अपर सत्र न्यायाधीश) मिण्ड	वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड	द्वितीय वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड	तृतीय वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड
3	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड
4	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिण्ड	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड
5	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय
6	विशेष न्यायाधीश एन.डी. पी.एस. चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड
7	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय
8	षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय
9	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड
10	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मिण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड।
11	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मिण्ड।

	अति० न्यायाधीश मिण्ड(प्रशिद्ध न्यायाधीश)			
25	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के अष्टम अति० न्यायाधीश मिण्ड(प्रशिद्ध न्यायाधीश)	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय
26	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के नवम अति० न्यायाधीश मिण्ड(प्रशिद्ध न्यायाधीश)	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय

टिप्पणी :-

1. जिले में जो न्यायालय पूर्व में कार्यरत होकर वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं उनके द्वारा पारित आपराधिक प्रकरणों एवं सिविल वादों में पारित निर्णय, डिक्री या आदेश तथा मोटर दुर्घटना दावों में पारित अधिनिर्णय के संबंध में प्रस्तुत प्रवर्तन मामले एवं उनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय या अन्य किसी अपीलीय न्यायालय से कोई आदेश निर्णय या निर्देश प्राप्त होते हैं तो उसका पालन उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये न्यायालय एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रगारी न्यायालय द्वारा किया जावेगा ।

रिक्त न्यायालय का नाम**न्यायालय का नाम**

क	रिक्त न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार
1	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश(ट्रेनी जज) मिण्ड, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मिण्ड, षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट्रेक न्यायालय) मिण्ड, सातम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोहद स्थान मिण्ड (फास्ट्रेक न्यायालय) एवं षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड के आदेश एवं निर्णय से उद्भूत समस्त आपराधिक एवं साम्प्रतिक प्रकरण।	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मिण्ड (म०प्र०)	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मिण्ड (म०प्र०)
नोट- वर्तमान में लागू कार्य विभाजन पत्रक 2024 से आगामी नवीन कार्य विभाजन पत्रक बनने तक यदि मुख्यालय पर कोई जिला एवं अपर सत्र न्यायालय रिक्त हो जाता है तो उसका प्रभार कॉलम क० 1 अनुसार ही रहेगा।			
2	मिण्ड मुख्यालय में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मिण्ड	
3	मिण्ड मुख्यालय में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड	

2 विशेष न्यायालय (एट्रोसिटीज) के रिक्त होने की स्थिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एकट, के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का अतिआवश्यक कार्य माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक सी/2264/तीन-6-3/90 जबलपुर दिनांक 14.09.2020 के पालन में मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वारा किया जावेगा एवं मुख्यालय पर यदि कोई भी वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो उनका प्रभार सत्र खण्ड में पदस्थ वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पर रहेगा एवं सत्र खण्ड पर पर भी कोई भी

वरिष्ठतम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपस्थित न हो तो उनका प्रभार मुख्यालय में पदस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिण्ड पर रहेगा।

3. विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस.) मिण्ड के रिक्त होने की स्थिति में एन.डी.पी.एस. एक्ट, के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का अतिआवश्यक कार्य माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक सी/2262/तीन-6-3/89 जबलपुर दिनांक 14.09.2020 के पालन में मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठतम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पर रहेगा तथा मुख्यालय पर यदि कोई भी वरिष्ठतम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो उनका प्रभार सत्र खण्ड में पदस्थ वरिष्ठतम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पर रहेगा।

4. जिला स्थापना मिण्ड में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के पश्चात मिण्ड मुख्यालय पर जो भी विशेष न्यायालय (पॉक्सो) संचालित रही थी। उक्त सभी पॉक्सो न्यायालय से संबंधित यदि कोई भी आवश्यक कार्यवाही प्राप्त होती है, तो वर्तमान में संचालित विशेष न्यायालय (पॉक्सो) द्वारा की जायेगी।

5. मध्यप्रदेश डकैती व व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 से संबंधित प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का अतिआवश्यक कार्य विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में निम्नानुसार रहेगा।

श्री दिनेश कुमार खटीक, विशेष न्यायाधीश डकैती क्षेत्र क्रमांक-1 मिण्ड	श्री अहमद रजा, विशेष न्यायाधीश डकैती क्षेत्र क्रमांक-2 मिण्ड	श्री दिनेश कुमार खटीक विशेष न्यायाधीश डकैती क्षेत्र क्रमांक-1 मिण्ड	श्री अहमद रजा, विशेष न्यायाधीश डकैती क्षेत्र क्रमांक-2 मिण्ड	सप्तम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मिण्ड	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मिण्ड
--	--	---	--	---	--

6. विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के अवकाश पर रहने या अन्य किसी कारण से उनके कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्रों एवं अतिआवश्यक कार्यों की सुनवाई निम्नानुसार रहेगी।

सप्तम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मिण्ड	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड
---	--	---	---

7. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का अतिआवश्यक कार्य विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में निम्नानुसार रहेगा-

1. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत मिण्ड	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मिण्ड	सप्तम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मिण्ड
---	---	---	---

नोट:- विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिड्स) मिण्ड एवं सप्तम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश में सिविल कार्य शेष नहीं रहा, परन्तु सुविधा की दृष्टि से इन न्यायालय में एम.ए.सी.सी. केरोर से संबंधित ब्लेम केस के भुगतान की कार्यवाही इन्हीं न्यायालयों द्वारा की जायेगी।

यह कार्य विभाजन पत्रक न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को प्रभावित नहीं करेगा।

नोट :- यह कार्य विभाजन पत्रक 2024 दिनांक 15 अप्रैल 2024 से प्रभावशील होगा।

(राजीव कुमार अयाची)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मिण्ड (मोप्र)

तहसील गोहद

क्रमांक	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन
1	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला मिण्ड	सत्र खण्ड गोहद	<p style="text-align: center;">आपराधिक</p> <ol style="list-style-type: none"> सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, पुनरीक्षण याचिका, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण। तहसील गोहद क्षेत्र से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद-पत्र तथा जमानत आवेदन-पत्र। तहसील गोहद क्षेत्र से ही संबंधित बलात्कार, शान्दिक बलात्कार एवं हत्या सहित बलात्कार के आपराधिक प्रकरण तथा केवल महिलाओं के विरुद्ध कारित किये जा सकने वाले अपराधों से संबंधित अपील, आपराधिक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियाँ। तहसील गोहद से उत्पन्न भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन एवं विविध कार्यवाहियाँ। आरक्षी केन्द्र गोहद, मालनपुर एवं गोहद चौराहा, मौ एवं एण्डोरी से उद्भूत मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं आवेदन पत्र। (मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-3-2004/4823/2019/21-ब (एक), मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक-16 सन् 2001) की धारा 07 की उपधारा (1) तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक बी/5194/111-8-3/ 2003 जबलपुर, दिनांक 17.10.2019) आरक्षी केन्द्र गोहद, गोहद चौराहा एवं मौ से उत्पन्न अपराधों से संबंधित जमानत आवेदन, उपायित सत्र प्रकरण, निर्णय व आदेशों से उत्पन्न अपीलें तथा आपराधिक पुनरीक्षण।
		तहसील गोहद व मौ	<p style="text-align: center;">सिविल</p> <ol style="list-style-type: none"> एक करोड़ एक रुपये से तीन करोड़ रुपये तक मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद। मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दुर्घटना से हुई नृत्यु के संबंध में प्रस्तुत क्लेम प्रकरण, निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियाँ। न्याया, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश, गोहद जिला मिण्ड के न्यायालयों के आदेश एवं डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित सिविल अपील एवं विविध सिविल अपीलें। मोप्रो सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 501 रुपये से 1000 रुपये तक के लघुवाद प्रकरण। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के पार्ट-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण। दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत दस लाख रुपये से अधिक के प्रकरण। गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट्स, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। किशोर न्याय(बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम), 2000 की धारा-58 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दत्तक ग्रहण से संबंधित समस्त आवेदन पत्र। (अ) मू-अर्जन अधिनियम, 1894 (ब) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत तहसील गोहद से संबंधित समस्त आवेदन। विशेष एवं स्थानीय अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ये समस्त सिविल प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये हैं। जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल वाद, अपील व प्रवर्तन आवेदन।
	POLICE STATION ARE ATTACHED TO THE CLAIM TRIBUNAL.		
	GOHAD	GOHAD	
	GOHAD	GOHAD CHAURAHA	
		MALANPUR	
	MOU	MOU	
		ANDORI	

2	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड	सत्र खण्ड गोहद तहसील गोहद	रिक्त न्यायालय
3	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड	सत्र खण्ड गोहद तहसील गोहद व मौ	<p style="text-align: center;">आपराधिक</p> <p>1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिका, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण।</p> <p>2. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक ए/2830/तीन-6-4/81 जबलपुर दिनांक 10.04.2024 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 के अंतर्गत राजरव जिला भिण्ड की तहसील गोहद क्षेत्र से उद्भूत आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य विविध आपराधिक कार्यवाहियां।</p> <p>3. आरक्षी केंद्र आरक्षी केंद्र एण्डोरी एवं मालनपुर से उत्पन्न अपराधों से संबंधित जमानत आवेदन, उपापिंत सत्र प्रकरण, निर्णय व आदेशों से उत्पन्न अपीलें तथा आपराधिक पुनरीक्षण।</p> <p style="text-align: center;">सिविल</p> <p>4. तीन करोड़ से अधिक के मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद।</p> <p>5. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, गोहद जिला भिण्ड के न्यायालयों के आदेश एवं डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित सिविल अपील एवं विविध सिविल अपीलें।</p> <p>6. समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के आदेश और डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित सिविल अपील और विविध सिविल अपील</p> <p>7. मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दुर्घटना से हुई शारीरिक क्षति के संबंध में प्रस्तुत क्लेम प्रकरण, निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां।</p> <p>8. भूमि अर्जन एवं भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास एवं पुनः स्थापना अधिनियम, 2013 की धारा 18, 30 एवं 31 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>9. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के आदेश की अपीलें।</p> <p>10. म.प्र. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के अधीन पारित आदेशों की अपीलें।</p> <p>11. म.प्र.विनिर्दिष्ट ग्रन्थ आचरण अधिनियम, 1982 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>12. म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1967 की धारा 27 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकायें।</p> <p>13. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकायें।</p> <p>14. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वाद एवं आवेदन पत्र।</p> <p>15. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 हिन्दू दत्तक एवं मरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहिया।</p> <p>16. विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय एवं रिक्त समस्त जिला व अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों व उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेशों पर कार्यवाही व विविध कार्यवाही एवं उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेशों पर कार्यवाही एवं विविध कार्यवाही।</p> <p>17. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल वाद, अपील व प्रवर्तन आवेदन।</p>
4	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद	तहसील गोहद व मौ	<p>1. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद, विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र।</p> <p>2. पाँच लाख एक रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के समस्त सिविल वाद एवं आवेदन पत्र।</p> <p>3. माप्रो सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 500 रुपये तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण।</p> <p>4. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 139 एवं 172 के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपीलें।</p>

POLICE STATIONS ARE ATTACHED TO THE C.J.M TRIBUNAL	
GOHAD	GOHAD
	GOHAD CHAURAHA
	MALANPUR →
MOU	MOU
	ANDORI

			<p>5. दिवालिया अधिनियम, के दस लाख रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण ।</p> <p>6. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र ।</p> <p>7. रुपये दस लाख तक के ऐसे प्रवर्तन प्रमाण पत्र जो बाहर के न्यायालय से प्राप्त हों ।</p> <p>8. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों ।</p> <p>09. तहसील न्यायालय गोहद के रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय से संबंधित विविध सिविल वाद, प्रवर्तन प्रकरण तथा उनसे संबंधित अपील न्यायालय से प्राप्त आदेशों पर कार्यवाही/विविध कार्यवाही आवश्यक कार्यों का निराकरण ।</p>
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद	तहसील गोहद एवं मौ	<p>1. तहसील न्यायालय गोहद क्षेत्र के एक रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के मूल्यांकन के सिविल वाद एवं आवेदन ।</p> <p>2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद ।</p> <p>3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों ।</p> <p>4. तहसील न्यायालय गोहद के रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के न्यायालय के विविध सिविल वाद, प्रवर्तन प्रकरण तथा उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेशों पर कार्यवाहिया/विविध कार्यवाहियां ।</p>
6	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद रिक्त न्यायालय	तहसील गोहद	रिक्त न्यायालय
7	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद रिक्त न्यायालय	तहसील गोहद	रिक्त न्यायालय
8	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद रिक्त न्यायालय	तहसील गोहद	रिक्त न्यायालय
9	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद रिक्त न्यायालय	तहसील गोहद	रिक्त न्यायालय
10	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद रिक्त न्यायालय	तहसील गोहद	रिक्त न्यायालय
11	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद	तहसील गोहद	रिक्त न्यायालय

अनुसूची

सारणी की कंडिका 2 में दर्शाये गये न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से उनके कर्तव्य पर उपरिथत नहीं रहने अथवा उनका पद रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय के अतिआवश्यक सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों का निपटारा सारणी की कंडिका 3 में दर्शाये गये न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा :-

सारणी

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	प्रथम प्रमार	द्वितीय प्रमार	तृतीय प्रमार
1	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मेहगांव	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड
2	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मेहगांव	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड
3	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के अति. न्यायाधीश गोहद रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय
4	व्यवहार न्यायालय वरिष्ठ खण्ड गोहद	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्याया, गोहद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मेहगांव	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, भिण्ड
5	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड के अतिरिक्त न्यायाधीश, गोहद	व्यवहार न्यायालय वरिष्ठ खण्ड गोहद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मेहगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, भिण्ड
6	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय
7	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय
8	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय
9	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के अति. न्यायाधीश	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय

मध्यप्रदेश डकैती व व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 से संबंधित प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का अतिआवश्यक कार्य विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में निम्नानुसार रहेगा।

श्री अफजल खॉन, विशेष न्यायाधीश डकैती गोहद	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मेहगांव	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड
---	--	-------------------------------------	---

विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के अवकाश पर रहने या अन्य किसी कारण से उनके कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्रों एवं अतिआवश्यक कार्यों की सुनवाई निम्नानुसार रहेगी।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश गोहद	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मेहगांव	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड
---	---	-------------------------------------	--

भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का अतिआवश्यक कार्य विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में नियमानुसार रहेगा

विशेष न्यायाधीश (अपर सत्र न्यायाधीश) गोहद	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मेहगांव	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड
---	---	-------------------------------------	---

तहसील न्यायालय गोहद में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद		
तहसील न्यायालय गोहद में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के अतिरिक्त न्यायाधीश, गोहद		

नोट :- कार्य विभाजन पत्रक 2024 दिनांक 15 अप्रैल 2024 से प्रभावशील होगा।

(राजीव कुमार अयाची)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भिण्ड (म0प्र0)

तहसील लहार

क्रमांक	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन										
1	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लहार, जिला मिण्ड	सत्र खण्ड, लहार (रौन एवं मिहोना को छोड़कर)	<p>आपराधिक</p> <p>1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिका, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण।</p> <p>2. तहसील लहार क्षेत्र से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद-पत्र तथा जमानत आवेदन-पत्र। तहसील लहार क्षेत्र से ही संबंधित बलात्कार, सामूहिक बलात्कार एवं हत्या सहित बलात्कार के आपराधिक प्रकरण तथा केवल महिलाओं के विरुद्ध कारित किये जा सकने वाले अपराधों से संबंधित अपील, आपराधिक पुनरीक्षण एवं अन्य कार्यवाहियाँ।</p> <p>3. तहसील लहार के क्षेत्राधिकार में आरक्षी केंद्र लहार, रावतपुरा, असवार, दबोह व आलमपुर से उत्पन्न होने वाले उपार्पित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन।</p> <p>4. मोप्रो उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक- ए/4055/तीन-6-4/81 जबलपुर दिनांक 18.07.2023 के अनुसार मोप्रो डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के अंतर्गत राजसद जिला मिण्ड की तहसील न्यायालय लहार क्षेत्र से उद्भूत आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य विविध कार्यवाहियाँ।</p> <p>5. रजिस्ट्री जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक-ए/4053/ तीन-6-4/2003 जबलपुर दिनांक 18.07.2023 एवं विधि एवं विधायी कार्यविभाग भोपाल की अधिसूचना एफ क्रमांक-17(ई) 83/3/इक्कीस-ब(एक) दिनांक-18.09.2010 के अनुसार तहसील लहार, रौन, मिहोना से उत्पन्न भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन एवं विविध कार्यवाहियाँ।</p> <p>6. तहसील न्यायालय लहार क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त थानों (रौन एवं मिहोना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त थानों को छोड़कर) से उद्भूत मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं आवेदन पत्र। (मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-3-2004/4823/2019/21-ब (एक), मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक-16 सन् 2001) की धारा 07 की उपधारा (1) तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक बी/5194/ 111-6-3/ 2003 जबलपुर, दिनांक 17.10.2019)</p>										
	<p>POLICE STATION ARE ATTACHED TO THE CLAIM TRIBUNAL</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>LAHAR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DABOH</td> </tr> <tr> <td>LAHAR</td> <td>RAWATPURA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ASWAR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.JAMPUR</td> </tr> </table>		LAHAR		DABOH	LAHAR	RAWATPURA		ASWAR		A.JAMPUR	तहसील लहार, (रौन एवं मिहोना को छोड़कर)	<p>सिविल</p> <p>7. एक करोड़ से अधिक रुपये तक मूल्यांकन के तहसील लहार क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त सिविल वाद।</p> <p>8. मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत तहसील लहार क्षेत्रान्तर्गत दुर्घटना से हुई शारीरिक क्षति एवं मृत्यु के संबंध में प्रस्तुत क्लेम प्रकरण, निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियाँ (तहसील मिहोना एवं रौन को छोड़कर)</p> <p>9. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 हिन्दू दत्तक एवं मरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ।</p> <p>10. मोप्रो सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 501 रुपये से 1000 रुपये तक के लघुवाद प्रकरण।</p> <p>11. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के आदेश की अपीलें।</p> <p>12. म.प्र. लोक परिसर (वेदखली) अधिनियम, 1974 के अधीन धारित आदेशों की अपीलें।</p> <p>13. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के पार्ट-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण।</p> <p>14. म.प्र.नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत</p>
	LAHAR												
	DABOH												
LAHAR	RAWATPURA												
	ASWAR												
	A.JAMPUR												

			<p>चुनाव याचिकाएँ ।</p> <p>15. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वाद एवं आवेदन पत्र ।</p> <p>16. किशोर न्याय(बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम), 2000 की धारा-58 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दत्तक ग्रहण से संबंधित समस्त आवेदन पत्र ।</p> <p>17. सनस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ लहार जिला भिण्ड के न्यायालय से पारित आदेश एवं जयपत्र के विरुद्ध तहसील लहार, (तहसील मिहोना एवं रौन को छोड़कर) क्षेत्र के व्यवहार वादों से उत्पन्न नियमित सिविल अपील एवं विविध सिविल अपीलें ।</p> <p>18. (अ) भू-अर्जन अधिनियम, 1894</p> <p>(ब) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013</p> <p>के अन्तर्गत तहसील न्यायालय लहार, क्षेत्र से संबंधित समस्त आवेदन ।</p> <p>19. विशेष एवं स्थानीय अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वे समस्त सिविल प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये हैं ।</p> <p>20. म.प्र.पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 27 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकाएँ ।</p> <p>21. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत दस लाख रुपये से अधिक के प्रकरण ।</p> <p>22. गार्जियन एण्ड वार्डस एक्टस, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।</p> <p>23. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों ।</p> <p>24. रिक्त समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायालय लहार के न्यायालय के विविध सिविल वाद, प्रवर्तन प्रकरण ।</p> <p>25. स्वयं के न्यायालय व रिक्त जिला न्यायालय लहार के अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय से संबंधित अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेश पर कार्यवाहियां व विविध कार्यवाहियां ।</p> <p>26. रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, लहार के निर्णय से उत्पन्न नियमित/विविध सिविल अपील (रौन व मिहोना क्षेत्र को छोड़कर)</p>
2	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लहार के अतिरिक्त न्यायाधीश लहार, जिला भिण्ड रिक्त न्यायालय	सत्र खण्ड, भिण्ड (रौन एवं मिहोना को छोड़कर) तहसील न्यायालय लहार	रिक्त न्यायालय
3	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय जनपद लहार	तहसील लहार, रौन व मिहोना	<p>1. तहसील न्यायालय लहार क्षेत्र के पॉच लाख एक रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक के मूल्यांकन के सिविल वाद एवं आवेदन। दायरा अवधि केवल (माह 01 सितम्बर 2024 से 31 दिसम्बर 2024 की अवधि तक)</p> <p>2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सनस्त सिविल वाद ।</p> <p>3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों ।</p> <p>4. ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 के लहार क्षेत्राधिकार से संबंधित सिविल व आपराधिक प्रकरण ।</p> <p>5. ग्राम न्यायालय लहार द्वारा निराकृत सिविल वाद से उत्पन्न विविध सिविल वाद, निष्पादन व अन्य कार्यवाहियां ।</p>
4	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार	तहसील लहार रौन, मिहोना	<p>1. तहसील न्यायालय लहार क्षेत्र के पॉच लाख एक रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक के मूल्यांकन के सिविल वाद एवं आवेदन। दायरा अवधि केवल (माह 01 मई 2024 से 31 अगस्त 2024 की अवधि तक)</p> <p>2. मोप्रो सिविल न्यायालय अधिनियम, 1968 की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 500 रुपये तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण ।</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 3. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 139 एवं 172 के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपीलें । 4. दिवालिया अधिनियम, के दस लाख रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण । 5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र । 6. रुपये दस लाख तक के ऐसे प्रवर्तन प्रमाण पत्र जो बाहर के न्यायालय से प्राप्त हों । 7. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये प्रकरण । 8. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों ।
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार	तहसील लहार, मिहोना, रौन	रिक्त न्यायालय
6	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार	तहसील लहार, मिहोना, रौन	रिक्त न्यायालय
7	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार	तहसील लहार, मिहोना, रौन	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील न्यायालय लहार क्षेत्र के एक रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के मूल्यांकन के सिविल वाद एवं आवेदन। दायरा अवधि केवल (माह 01 सितम्बर 2024 से 31 दिसम्बर 2024 की अवधि तक) 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद । 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों ।
8	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश लहार	तहसील लहार, मिहोना, रौन	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील न्यायालय लहार क्षेत्र के एक रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के मूल्यांकन के सिविल वाद एवं आवेदन। दायरा अवधि केवल (माह 15 अप्रैल 2024 से 31 अगस्त 2024 की अवधि तक) 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद । 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों । 4. रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से उत्पन्न प्रवर्तन, विविध सिविल वाद तथा उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों पर की जाने वाली कार्यवाहियां एवं विविध कार्यवाहियां।

अनुसूची

सारणी की कंडिका 2 में दर्शाये गये न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से उनके कर्तव्य पर उपस्थित नहीं रहने अथवा उनका पद रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय के अतिआवश्यक सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों का निपटारा सारणी की कंडिका 3 में दर्शाये गये न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा :-

सारणी

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लहार	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड
2	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लहार के अतिरिक्त न्यायाधीश, लहार	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय
3	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश, लहार
4	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश लहार
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय
6	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश, लहार	द्वितीय व्यवहार कनिष्ठ खण्ड लहार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, लहार
7	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश, लहार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, लहार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार
तहसील न्यायालय लहार में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय			प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार	
तहसील न्यायालय लहार में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय			प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश, लहार	
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लहार विशेष न्यायालय, विद्युत अधिनियम, 2003				
विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012			राजगंज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड
विशेष न्यायालय म.प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981			वर्तुथ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	वर्तुथ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड

नोट :- कार्य विभाजन पत्रक 2024 दिनांक 15 अप्रैल 2024 से प्रभावशील होगा।

(राजीव कुमार अयाची)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भिण्ड (म0प्र0)

तहसील मेहगांव

क्रमांक	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन						
1	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मेहगांव	सत्र खण्ड, तहसील मेहगांव	<p style="text-align: center;">आपराधिक</p> <p>1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिका, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण।</p> <p>2. तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्र से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवार-पत्र तथा जमानत आवेदन-पत्र। तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्र से ही संबंधित बलात्कार, सामूहिक बलात्कार एवं हत्या सहित बलात्कार के आपराधिक प्रकरण तथा केवल महिलाओं के विरुद्ध कारित किये जा सकने वाले अपराधों से संबंधित अपील, आपराधिक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियाँ।</p> <p>3. तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त धानों से उद्भूत मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं आवेदन पत्र। (मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-3-2004/4823/2019/21-ब (एक), मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक-16 सन् 2001) की धारा 07 की उपधारा (1) तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक बी/5194/111-6-3/2003 जबलपुर, दिनांक 17.10.2019)</p> <p>4. तहसील मेहगांव व गोरमी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले उपायित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदन।</p>						
		<p style="text-align: center;">तहसील मेहगांव व गोरमी जिला सिण्ड</p> <p style="text-align: center;">POLICE STATION ARE ATTACHED TO THE JUDICIAL TERRITORY</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 50px;"></td> <td style="width: 100px; text-align: center;">MEHGAON</td> </tr> <tr> <td style="width: 50px; text-align: center;">MEHGAON</td> <td style="width: 100px; text-align: center;">ANWAN BHAROLI BARASS</td> </tr> <tr> <td style="width: 50px; text-align: center;">GORMI</td> <td style="width: 100px; text-align: center;">GORMI</td> </tr> </table>		MEHGAON	MEHGAON	ANWAN BHAROLI BARASS	GORMI	GORMI	<p style="text-align: center;">सिविल</p> <p>5. एक करोड़ एक रुपये से अधिक मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद।</p> <p>6. मोटरयान अधिनियम, 1939 तथा 1988 के अंतर्गत तहसील मेहगांव गोरमी के सभी आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत वाहन दुर्घटना से उत्पन्न सभी मोटरदुर्घटना दावे, निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियाँ।</p> <p>7. 50000 सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 501 रुपये से 1000 रुपये तक के लघुवाद प्रकरण।</p> <p>8. माझा नियंत्रण अधिकारी के आदेश की अपीलें।</p> <p>9. म.प्र. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के अधीन पारित आदेशों की अपीलें।</p> <p>10. म.प्र.विनिर्दिष्ट ब्रट्ट आचरण अधिनियम, 1982 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियाँ।</p> <p>11. म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 27 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकायें।</p> <p>12. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के पार्ट-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण।</p> <p>13. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत दस लाख रुपये से अधिक के प्रकरण।</p> <p>14. गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट्स, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>15. म.प्र.नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकायें।</p> <p>16. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वाद एवं आवेदन पत्र।</p> <p>17. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ।</p> <p>18. किशोर न्याय(बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम), 2000 की धारा-58 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले दत्तक ग्रहण से संबंधित समस्त आवेदन पत्र।</p> <p>19. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड व समस्त रिक्त न्यायालय कनिष्ठ खण्ड मेहगांव के न्यायालय से पारित आदेश एवं जयपत्र के विरुद्ध तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्र के व्यवहार वादों से उत्पन्न नियमित सिविल अपील</p>
	MEHGAON								
MEHGAON	ANWAN BHAROLI BARASS								
GORMI	GORMI								

			<p>एवं विविध सिविल अपीलें।</p> <p>20. (अ) भू-अर्जन अधिनियम, 1894</p> <p>(ब) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013</p> <p>के अन्तर्गत तहसील मेहगांव एवं गोरमी क्षेत्र से संबंधित समस्त आवेदन।</p> <p>21. विशेष एवं स्थानीय अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वे समस्त सिविल प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये हैं।</p> <p>22. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।</p>
2	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव	तहसील मेहगांव, गोरमी	रिक्त न्यायालय
3	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव	तहसील मेहगांव, गोरमी	<p>1. तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्र के रुपये पाँच लाख एक से एक करोड़ रुपये तक मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद एवं आवेदन पत्र।</p> <p>2. तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्र के म0प्र0 सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 500 रुपये तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण।</p> <p>3. तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्र के नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 एवं 172 के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपीलें।</p> <p>4. तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्र के दिवालिया अधिनियम के दस लाख रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण।</p> <p>5. तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्र के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।</p> <p>6. तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्र के रुपये दस लाख तक के ऐसे प्रवर्तन प्रमाण पत्र जो बाहर के न्यायालय से प्राप्त हों।</p> <p>7. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।</p> <p>8. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।</p> <p>9. तहसील न्यायालय मेहगांव में रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय से संबंधित विविध सिविल वाद, प्रवर्तन प्रकरण तथा उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेशों पर की जाने वाली कार्यवाहियाँ/विविध कार्यवाहियाँ।</p>
4	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश मेहगांव	तहसील मेहगांव	रिक्त न्यायालय
5	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव	तहसील मेहगांव व गोरमी	<p>1. तहसील मेहगांव एवं गोरमी क्षेत्र के एक रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के मूल्यांकन के सिविल वाद एवं आवेदन।</p> <p>दायरा अवधि केवल (माह 01 सितम्बर 2024 से दिसम्बर 2024 की अवधि तक)</p> <p>2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद।</p> <p>3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय व समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों एवं उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेशों पर की जाने वाली कार्यवाहियाँ व विविध कार्यवाहियाँ।</p>
6	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश मेहगांव	तहसील मेहगांव व गोरमी	<p>1. तहसील मेहगांव एवं गोरमी क्षेत्र के एक रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के मूल्यांकन के सिविल वाद एवं आवेदन।</p> <p>दायरा अवधि केवल (माह 15 अप्रैल 2024 से 31 अगस्त 2024 की अवधि तक)</p> <p>2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद।</p> <p>3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।</p>

अनुसूची

सारणी की कंडिका 2 में दर्शाये गये न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से उनके कर्तव्य पर उपस्थित नहीं रहने अथवा उनका पद रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय के अतिआवश्यक सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों का निपटारा सारणी की कंडिका 3 में दर्शाये गये न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा :-

सारणी

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मेहगांव	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड
2	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव के अति० न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड
3	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश मेहगांव	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय
4	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव के अति० न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मेहगांव	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, भिण्ड
5	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव के अति० न्यायाधीश मेहगांव	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मेहगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड
तहसील न्यायालय मेहगांव में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय			द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव	
तहसील न्यायालय मेहगांव में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय			व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव के अतिरिक्त न्यायाधीश	
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं (विशेष न्यायाधीश) मेहगांव		राज्य जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड

अतः उपरोक्तानुसार कार्यविभाजन पत्रक वर्ष 2024 तैयार कर हस्ताक्षरार्थ किया गया।

नोट:- तहसील लहार, मेहगांव, गोहद में पदस्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश को निर्देशित किया जाता है कि, उनके अवकाश पर रहने की दशा में उसी तहसील स्थापना पर उस समय उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी आपराधिक मामलों से संबंधित फाईलों पर हस्ताक्षर करेंगे।

नोट :- कार्य विभाजन पत्रक 2024 दिनांक 15 अप्रैल 2024 से प्रभावशील होगा।

(राजीव कुमार अयाची)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भिण्ड (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्रमांक-1433/सां.लि./2024

भिण्ड,दिनांक- 16/04/2024

प्रतिलिपि :-

1. समस्त न्यायाधीश, भिण्ड/लहार/गोहद एवं मेहगावं की ओर सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित।
2. अध्यक्ष अभिभाषक संघ भिण्ड/लहार/गोहद एवं मेहगावं की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पंजीयन लिपिक/फाईलिंग काउण्टर भिण्ड/लहार/गोहद एवं मेहगावं की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट भिण्ड की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्य विभाजन पत्रक 2024 को जिला न्यायालय भिण्ड की वेबसाइट पर पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।

(राजीव कुमार अयाची)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

भिण्ड (म0प्र0)

